

वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव

प्राप्ति: 24.05.2024

स्वीकृत: 20.06.2024

डा० मधु शर्मा

अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

आर०एस०एस० पी०जी० कॉलेज, पीलखुवा, हापुड़

ईमेल: dr.madhusharma2@gmail.com

31

सारांश

भारतीय कृषि ने स्वतन्त्रता के समय से गुजारे-भर की खेतीबाड़ी से वाणिज्यिक कृषि का एक लम्बा रास्ता तय किया है और इस समय वह त्वरित गति से वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। खाद्यान्न उत्पादन के अलावा दुग्ध क्रान्ति के जरिये दुग्ध उत्पादन, नील क्रान्ति के माध्यम से मत्स्य, उत्पादन, तकनीकी मिशन के द्वारा दलहन और तिलहन उत्पादन में प्रगति हुई है और अंडा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्तरोत्तर आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण करने के लिए किए गए उपायों एवं विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को लागू करने के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़े हैं एवं पड़ने वाले हैं, उनकी समीक्षा तथा आकलन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने या समाप्त करने के लिए ठोस एवं उपयुक्त सुझाव दिए जा सकें जिससे देश का आर्थिक विकास निरन्तर होता रहे एवं प्रतिस्पर्धा शक्ति भी बढ़ती रहे।

मुख्य बिन्दु

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, कृषि, आर्थिक असमानता।

प्रस्तावना

वर्तमान परिस्थितियों में इस बात को लेकर कई तरह की आशंकायें हैं कि आर्थिक उदारीकरण की दिन-प्रतिदिन खुलती परतें भारतीय कृषि को किस तरह से प्रभावित कर रही है। यद्यपि कुछ शंकायें तो बेबुनियाद तथा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं तथापि कतिपय सामाजिक आर्थिक संगठनों द्वारा व्यक्त चिन्ताएँ वास्तव में उचित हैं। देश के कई भागों में कृषि प्रतिकूल दशाओं में की जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अन्तिम परिणाम यह है कि देश के कई ऐसे भू भाग हैं जहाँ कृषक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में हैं, औसत कृषि आकार बहुत छोटा होता जा रहा है और कृषि की लागत पद्धति प्रतिकूल है जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक अधिकाधिक ऋणी होते जा रहे हैं।

कृषि व्यापार को वैश्वीकरण से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कृषि के अन्तर्गत मान्य समूह का भाग विश्व व्यापार की सुविधा से वंचित रहा है। वैश्वीकरण के बाद अब

विपणन क्रियाएँ भी देश की सीमा तक सीमित नहीं रह गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के साथ-साथ निर्यात विपणन की आवश्यकता एवं महत्व में अत्याधिक वृद्धि हो गई है। कृषि निर्यात, कृषि कीमतें तथा व्यापार शर्तें किसी भी विपणन प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। जब भारत ने आर्थिक सुधार आरम्भ किये तो कई वस्तुओं की घरेलू कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से नीचे थी। वर्ष 1996 के बाद स्थिति तेजी से बदली घरेलू कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक हो गयी तथा भारत अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिये आकर्षक बाजार बन गया। इससे सस्ते आयात भारतीय बाजार में चारों तरफ फैल गये हैं तथा भारतीय किसानों को क्षति पहुँचा रहे हैं। ऐसा प्रायः गेहूँ, टूटे चावल, चिकन लेग व अन्य वस्तुओं के विषय में देखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रारम्भ से कृषि निर्यातों में आयी गति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद के समय विपरीत हो गयी, जबकि आयात अभी भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

प्रो० गुन्जर मिडल का कहना है कि, “यह कृषि क्षेत्र ही हैं जहाँ दीर्घकालीन विकास के लिये युद्ध जीता या हारा जाएगा।” प्रो मिडल की यह टिप्पणी दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिये किसानों की खुशहाली पर पर्याप्त बल देती है। भारत में गरीबों की एक बड़ी संख्या गाँवों में रहती है तथा आज भी अपने अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर है।

भारतीय कृषि निम्न कारणों से विकसित देशों की कृषि से भिन्न है

- (1) विकसित देशों में कृषि में कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत से सात प्रतिशत भाग लगा हुआ है, जबकि भारत में कृषि एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में सम्प्रति 64 से 65 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। उपलब्ध रोजगार अवसरों तथा संभावित रोजगार अवसरों की दृष्टि से भारतीय कृषि का महत्व विशेष प्रकार का है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय हैं कि रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या प्रतिवर्ष दो प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही हैं दूसरी ओर आज विश्व स्तर पर बिना रोजगार अवसरों के सृजन किए उत्पादन बढ़ाने की रणनीति अपनायी जा रही है। ऐसी स्थिति में रोजगार के वैकल्पिक क्षेत्रों को खोजना आवश्यक है और वह संभावना कृषि, लघु क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में है।

अतः भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान संगठित औद्योगिक क्षेत्र से संभव नहीं है। इसके समाधान में कृषि की भूमिका निकट भविष्य में महत्वपूर्ण होगी और यदि कृषि का व्यवसायीकरण हो तथा कृषि से संबंधित छोटे-छोटे उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जाए तो रोजगार अवसर के सृजन में बहुत मदद मिल सकती है। चूँकि कृषि की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित देशों से बिल्कुल भिन्न है।

- (2) भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य कृषि को विकसित करना तथा खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होना है। कृषि विकास के संबंध में जो आँकड़े पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए हैं उनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में कृषि की औसत विकास दर पाँच प्रतिशत नहीं रही है। हाँ वर्ष विशेष में यह पाँच प्रतिशत से अधिक अवश्य रही है, लेकिन बहुत से वर्षों में विकास दर ऋणात्मक रही है। इस प्रकार कृषि में विकास की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं और मानसून पर से निर्भरता यदि

कम की जाए तथा कृषि को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया जाए तो इसमें विकास की संभावना बहुत अधिक है।

वैज्ञानिक एवं उन्नत कृषि के लिए पूँजी की आवश्यकता है और भारत के 90 प्रतिषत किसान ऐसे हैं जो लघु या सीमान्त किसान की श्रेणी में हैं। ये उन्नत बी, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं तथा उन्नत कृषि उपकरणों को हासिल करने में असमर्थ हैं। इसका प्रमुख कारण वर्ष 1960 के दशक में भारत में जो "हरित क्रान्ति" का प्रारम्भ हुआ उसका लाभ लघु एवं सीमान्त कृषकों को नहीं मिल पाया था। इसका अभिप्राय यह है कि यदि भारतीय कृषि को आधुनिक उद्योग का रूप देना है तो वैसी स्थिति में सरकारी सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता है।

खाद्यान्नों के विषय में जहाँ तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है भारत की स्थिति अनाजों के विषय में भले ही बहुत संतोषप्रद न हो, किन्तु दलहन एवं तिलहन के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु आयात पर निर्भर करना पड़ता है। दालों का उपभोग वर्ष 1968 में प्रति व्यक्ति 56 ग्राम प्रतिदिन था जो कि अपर्याप्त माना गया था। वर्ष 1998 में यह स्थिति और भी खराब हो गई और प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मात्र 33 ग्राम दलहन उपलब्ध होता था। खाद्य तेलों के सम्बन्ध में भी स्थिति बहुत असन्तोषप्रद है और इस मामले में भी आयात पर निर्भर करना पड़ता है। जहाँ तक चावल, गेहूँ एवं अन्य मोटे खाद्य अनाजों का प्रश्न है, उनका उत्पादन योजनाकाल में काफी बढ़ा है लेकिन अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता के समीप अवश्य पहुँच पाए हैं।

गैट के समझौते के अन्तर्गत कृषि उत्पादों को व्यापक रूप से सम्मिलित करने का सफल प्रयास उरुग्वे व्यापार चक्र के दौरान ही किया गया था। चूँकि कृषि का विकास औद्योगिक विकसित देशों में बिना सरकारी सहायता एवं संरक्षण के संभव नहीं था, अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा स्विटजरलैंड गैट में इसी शर्त पर सम्मिलित हुए थे कि कृषि को गैट से बाहर रखा जाए। फलस्वरूप वर्ष 1955 में गैट की धारा-19 में अधित्याज अंश (वेवर क्लोज) जोड़ा गया। इस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि संविदा के किसी देश की आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियाँ ऐसी रहती हैं जिनके चलते गैट के किसी समझौते को न मानना हितकर हो तो, वैसी स्थिति में वह देश – गैट में शामिल रहते हुए भी समझौता विशेष से अपने को अलग रख सकता है।

वर्ष 1995 में अमेरिका के "एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट" में अध्याय 22 जोड़ा गया जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को कृषि जन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार था और अमेरिकी कृषि अधिनियम के इस प्रावधान के अनुरूप गैट के नियमों में (वेवर क्लोज) अधित्याज अंश जोड़ा गया। स्विटजरलैंड तो जब गैट की सदस्यता लेने गया तब इससे सम्बन्धित दस्तावेज में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उसे कृषि सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। इसी आधार पर स्विटजरलैंड ने अपने कृषि उत्पादों को संरक्षण दिया। यूरोपीयन यूनियन के देशों ने गैट में सम्मिलित होने के समय गैट के इस प्रावधान का उपयोग किया जिसमें तटकर के विषय को खुला रखने का प्रावधान था। गैट के प्रावधानों के तहत दो प्रकार की तटकर दरें – बंधनयुक्त, बंधे हुए तटकर दर तथा बंधनमुक्त थीं। जिन तटकर दरों को

गैट की अनुसूची में रखा जाता था वे बंधनयुक्त तटकर दरें होती थीं और जिन वस्तुओं के तटकर दरों पर अनुबंध के देशों के बीच समझौता नहीं होता था वे दरें बंधनमुक्त होती थीं। अतः इनमें वृद्धि करना नियम विरुद्ध नहीं माना जाता था। चूँकि कृषि वस्तुओं पर लगायी गयी तटकर दरों के संबंध में दो देशों के बीच समझौते नहीं हुए थे, अतः वे बंधनमुक्त थीं। इसी प्रावधान का सहारा यूरोपीयन संघ के देशों ने लिया। उन देशों ने अपने लिए एक सामान्य कृषि नीति का निर्धारण किया और गैट के “बंधनमुक्त तटकर दरों” के प्रावधान के तहत कृषि जन्य वस्तुओं के आयात पर परिवर्तनशील तटकर दरें निर्धारित कीं और परिवर्तनशील तटकर दरों को ऊँचे स्तर पर निर्धारित किया गया था। फलस्वरूप यूरोपीयन यूनियन के देशों ने गैट के प्रावधान के तहत अपनी कृषि को संरक्षण प्रदान किया। इसी का परिणाम था कि यूरोपीयन यूनियन के देश जो चीनी का आयात करते थे वे चीनी का निर्यात करने लगे।

विश्व की आधी जनसंख्या भूख की समस्या से पीड़ित थी। ऐसी स्थिति में सामान्यतया बाजार की समस्या नहीं होनी चाहिए थी लेकिन समस्या थी और उसका कारण यह था कि ये विकासशील एवं अल्पविकसित देश अनाज एवं अन्य कृषि उत्पादों का आयात करके अपने देश के लोगों को खिला नहीं सकते थे, क्योंकि उनके सामने विदेशी विनिमय का संकट था। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उपाय यह था कि वह विकासशील देशों को मुफ्त में या रियायती मूल्यों पर कृषि उत्पादों की आपूर्ति करें। इस दिशा में उसने प्रयास भी किया और शांति के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम चलाया तथा पी०एल०-480 के अन्तर्गत वर्ष 1955 से वर्ष 1966 के बीच भारत, जापान इटली, स्पेन आदि देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ति भी की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का भारतीय कृषि पर प्रभाव

गैट-1994 के तहत कृषि संबंधित जो समझौते हुए उनके अनुच्छेद-6 में डोमेस्टिक सर्पोर्ट कमिटमेंट का उल्लेख है। अनुच्छेद 6.4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकसित सदस्य देश में कुल कृषि उत्पादन मूल्य या विशेष कृषि उत्पाद के उत्पादन मूल्य का 5 प्रतिशत तक सहायता सरकारी स्तर पर या सरकारी माध्यम से या अन्य माध्यमों से दी जा सकती है। विकासशील देश के लिए यह छूट 10 प्रतिशत की रखी गयी इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादों का मूल्यांकन संबंधित वर्ष के उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।

गैट-1994 समझौते के अन्तर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि विकासशील देश कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता दे सकते हैं किन्तु उसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने या आयात घटाने का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी सहायता देने पर रोक नहीं लगायी गयी है। गरीब किसानों को रियायती दर पर कृषि आदानों को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था है।

व्यापार पर प्रभाव

सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री उपायों के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसके अनुसार सदस्य देशों को मानव, पशु एवं पौधों के जीवन एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाने का अति

ाकार दिया गया, किन्तु यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार नहीं किया जाना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा हो।

सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री फाइटो उपायों पर जो समझौता हुआ उसका उद्देश्य ऐसे कृषि उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है जिससे मानव, पशु व पौधों में रोग होने एवं फैलने का भय हो या जो मनुष्य पशु एवं वनस्पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो।

जहाँ तक सैद्धान्तिक पहलू का सम्बन्ध है, मानव पशु एवं पौधों के स्वास्थ्य के हिसाब से वस्तुओं के व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्गदर्शकों को बंधनकारी बनाना पूर्णतः न्यायोचित लगता है। बशर्ते कि इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं तटस्थता हो और स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्ग दर्शक तत्वों का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण हो न कि किसी देश विशेष के व्यापारिक हित का ध्यान में रखकर।

कोडेक्स ऐलिमेन्टेरियस की संरचना व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्था है उससे यह स्पष्ट होता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बर्चस्व को तथा उनके हित को केन्द्र में रखा गया है उदाहरणार्थ अमेरिकी प्रतिनिधित्व में वहाँ के खाद्य विभाग के पदाधिकारियों तथा नेशले, होलैंड एवं नाइट, कोका कोला, पेप्सीको और हस्सी फूड्स कारपोरेशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। व्यापारिक कम्पनियों से यह उम्मीद करना कि अपने हित को नजर अंदाज करते हुए वैज्ञानिक मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर कार्य करें, तो यह सही नहीं होगा। उदाहरणार्थ डी०डी०टी० के प्रयोग पर अमेरिकी सरकार ने वर्ष 1972 में प्रतिबन्ध लगा दिया था। केवल मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए उसके प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया था।

भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर प्रभाव

कृषि समझौते के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारत के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप है क्योंकि कल्याणकारी राज्य की एक प्रमुख विशेषता होती है कि अपनी जनता के हित को प्राथमिकता दे। चूँकि भारत जैसे देश में जहाँ कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के भी नीचे जीवन यापन करने को विवश है तथा भोजन के मामले में बिना सरकारी सहायता एवं अनुदान के जीवनयापन नहीं कर सकता है। अतएव सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा की नीति पर स्थिर रहे परन्तु कृषि समझौते के प्रावधानों के तहत भारत देश में प्रदत्त दो प्रकार की सब्सिडियाँ (पहला तो समर्थन मूल्य के रूप में एवं दूसरा खरीद भण्डारण, वितरण एवं परिवहन व्यय के रूप में) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इसके साथ-साथ मुनाफाखोरी, जमाखोरी एवं चोर बाजारी आदि के द्वारा मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण सरकार द्वारा जनहित में की जाती है। चूँकि सरकारी सहायता की सीमा इस प्रावधान के तहत निर्धारित की जा चुकी है, अतः अब मूल्य वृद्धि करने वालों के स्थान पर सरकार पर ही नियन्त्रण हो गया है, जो कि मानव मूल्यों के लिए घातक है।

इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के अन्य उपायों राष्ट्रीय खाद्य भंडारण की सीमा पूर्व से निर्धारित करने, सरकारी खाद्य वितरण को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की योजना के तहत लाने

आदि कल्याणकारी योजनाओं पर भी अंकुश लग जाएगा साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी आधारभूत परिवर्तन करना होगा।

इसके आलावा भारत देश की आधारभूत कृषि विकास परियोजनाएँ जैसे सिंचाई, विद्युतीकरण पर किए जाने वाले व्यय को 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत रखा गया है। साथ ही सभी सरकार के व्यय जो इन सुविधाओं को किसान के खेत तक ले जाते हैं, को भी 10 प्रतिशत की सीमा में रखा गया है।

इस प्रकार से सब्सिडी की सीमा को 10 प्रतिशत निर्धारित करने तथा उपरोक्त उल्लेखनीय कृषि को मिलने वाली सुविधाओं पर व्यय की जाने वाली राशि को सब्सिडी से जोड़ने का प्रभाव सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु संचालित पॉयलट प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट एवं कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट आदि योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौते के अन्तर्गत ट्रिप्स के प्रावधान खाद्यान्नों के मामले में देश को सुरक्षित करने में बाधक साबित होंगे क्योंकि ट्रिप्स के अनुच्छेद-27 में यह प्रावधान है कि पेटेन्ट किसी नई वस्तु एवं नयी प्रक्रिया की खोज के लिए हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पेटेन्ट करा लिया जाए और शोध कार्य को धीमी गति से चलाया जाए तो वैसी स्थिति में लम्बी अवधि तक उन वस्तुओं के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में सफलता नहीं मिलेगी।

भारतीय पेटेन्ट कानून में अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधान की शर्त आसान एवं न्यायसंगत है। किन्तु ट्रिप्स के प्रावधानों के तहत इसे पेटेन्टधारकों के पक्ष में बना दिया गया। आवश्यक खाद्यान्नों के मामले में पेटेन्ट के प्रावधानों को लागू करना भारत सहित विकासशील देशों के हित में नहीं है। विकसित देश जब तक खाद्यान्नों के मामले में असुरक्षित थे तब तक पेटेन्ट की व्यवस्था नहीं की गयी किन्तु ज्यों ही उनकी समस्या समाप्त हो गई त्यों कि वे कृषि क्षेत्र में पेटेन्ट लागू करने के लिए दबाव देने लगे। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार का प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ेगा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उरुग्वे व्यापार चक्र के तत्वावधान में कृषि को दिए जाने वाले घरेलू समर्थन पर सीमा निर्धारित करके अप्रत्यक्ष रूप से कई कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करके विकसित देशों के कृषकों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है, जबकि तीसरी दुनियाँ के देशों जहाँ विश्व की अधिक जनसंख्या है और गरीबी भी अधिक है, के हितों को नजर अन्दाज किया गया है।

खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों एवं पंजाब के कृषि पर वैश्वीकरण के कारण पड़ने वाले प्रभावों का जो शोध "डा० जी० एस० भल्ला एवं गुरुमेल सिंह" द्वारा " गैट एवं पंजाब एग्रीकल्चर" शीषर्क के अन्तर्गत किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि खाद्यान्नों (धान, गेहूँ, इत्यादि) के उत्पादन पर वैश्वीकरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जिसके फलस्वरूप छोटे एवं गरीब किसान प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे तथा देश के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को भी प्रभावित कर सकते हैं।

गैट-1994 के तहत विश्व व्यापार संगठन में किये प्रावधानों का भारतीय कृषि पर सम्भावित प्रभावों के आंकलन करने के साथ-साथ अभी तक पड़े प्रभावों की समीक्षा से स्पष्ट रूप से यह तथ्य

सामने आता है कि आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की अभी तक की अवधि (वर्ष 1991–2012) में भारतीय कृषि का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और इसकी वृद्धि दर आलोच्य अवधि में कुछ अपवादों को छोड़ कर असन्तोषप्रद ही रही है ।

वैश्वीकरण और भारतीय कृषि की प्राथमिकताएँ

भारत देश को यह उम्मीद थी कि विश्व व्यापार संगठन में दिए गए अपने वायदों के अनुरूप विकसित देश घरेलू समर्थन का स्तर कम करेंगे तथा निर्यातों पर सहायता में कटौती करेंगे जिससे भारत इन देशों को और कृषि वस्तुओं का निर्यात कर पाएगा परन्तु जैसा कि ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है, विकसित देशों ने बहुत चालाकी से अपने हितों की सुरक्षा की है तथा विकासशील देशों से कृषि आयातों के विस्तार को रोक पाने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दूसरे देशों के माल के लिए अपने द्वार खोले हैं तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है। इसलिए भारतीय कृषि तथा भारतीय कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार कृषि के लिए स्पष्ट प्राथमिकताओं का निर्धारण करे और उनका सख्ती से पालन करे। विशेष रूप से निम्नलिखित दशाओं में कार्य करना आवश्यक है।

विरूपण रहित व्यापार तथा सभी देशों को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विकसित देशों में विद्यमान उच्च सहायता दरों तथा घरेलू समर्थन स्तरों को कम किया जाए। जो देश अपने कृषि क्षेत्र का वैश्वीकरण कर रहा है वह उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वैश्वीकरण के अधीन वह उन कृषि वस्तुओं में विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले तथा कम क्रय-शक्ति वाले देश में यह आवश्यक है कि खाद्यान्न व अनाज की उपलब्धि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का पूरा ध्यान दिया जाए। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता आवश्यक है ताकि व्यापार पर निर्भरता को सीमाओं के भीतर रखा जा सके।

दीपक नैयर तथा अभिजीत सेन ने यह स्पष्ट किया है कि घरेलू कीमतों की जगह अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव होते हैं” इसलिए व्यापार प्रतिबन्धों को कम करने का परिणाम होगा कि घरेलू कीमतों तथा किसानों की आय में अस्थिरता व अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने होंगे। एक और समस्या यह हो सकता है कि किसी देश में कृषि वस्तुओं का अत्याधिक उत्पादन हो और वह अपने अधिशेष को भारत में बहुत सस्ती कीमतों पर बेचने का प्रयास करे। इसलिए कृषि वस्तुओं के भारी आयातों पर चौकसी रखने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत में अभी कृषि को घरेलू समर्थन कृषि उत्पाद के मूल्य के 10 प्रतिशत से काफी कम है। इसलिए अभी इसमें कमी करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जब एक बार विकासशील देशों को प्राप्त रियायतें समाप्त कर दी जाएंगी तब आर्थिक सहायता कम करने के लिए दबाव बढ़ सकता है, (विशेष रूप से खाद्यान्नों की वसूली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उनके वितरण पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम करने के लिए) इसलिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए ताकि ग्रीन बाक्स की तरह फूड सिक्यूरिटी बाक्स तथा 'डवेलपमेंट बाक्स' बनाया जाए। विश्व

व्यापार संगठन के अधीन अपनाए गए बौद्धिक सम्पदा पर अधिकारों से सम्बन्धित समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि सभी सदस्य देश पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए तथा बीजों के लिए पेटेंट प्रदान करेंगे। इस व्यवस्था से भी लाभ विकसित देशों को ही प्राप्त होगा, विशेष रूप से इन देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों को। वस्तुतः बहुराष्ट्रीय निगमों को विकासशील देशों में अच्छे किस्म के बीजों को बिक्री – संभावनाओं का पूरा ज्ञान है। इन किस्मों को पेटेंट करके वे इन बाजारों से भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। भूमण्डलीयकरण का कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट फसलों तथा कुछ विशिष्ट लोगों के विशिष्ट वर्गों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण यह है वैश्वीकरण से लाभ अधिकतर उन क्षेत्रों को प्राप्त होंगे जिनमें संसाधनों की काफी मात्रा है, उन फसलों को प्राप्त होंगे जिन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, तथा जनसंख्या के उन वर्गों को प्राप्त होंगे जो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं।” इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कुछ अनिवार्य उपभोग वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे लोगों के कल्याण स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

संदर्भ

1. यादव, सुबह सिंह. यादव, डॉ. मोहन लाल. (2007). कृषि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं चुनौतियाँ. सबलाइम पब्लिकेशन्स: जयपुर. पृष्ठ 6.
2. पाण्डेय, रामनरेश. (2004). विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था. एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स: बी-2, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली. पृष्ठ 214.
3. पाण्डेय, राम नरेश. (2004). विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था. एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स: नई दिल्ली. पृष्ठ 31.
4. Ramanna, Anitha. (2001). India's Policy on IPRS and Agriculture. *Economic and Political Weekly*. Mumbai. Dec.22. Pg. 4689.
5. Nayyar, Deepak., Sen, Abhijit. (1994). International Trade and The Agricultural Sector in India. *Economic Political Weekly*. Mumbai. May 14. Pg. 335.
6. Sharma, Devendra. (1994). GATT and India, The Politics of Agriculture. Konark publisher Pvt. Ltd.: Main Vikas Marg, Delhi. Pg. 183.
7. Sharma, Devendra. (1994). GATT and India, The Politics of Agriculture. Konark publisher Pvt- Ltd.: Main Vikas Marg, Delhi. Pg. 143.
8. Eighth Five-year Plan. (1992&97). Govt of India, Planning Commission: New Delhi. Vol & I. Pg. 177.
9. Pani, Narendra. (1997). The Economic Times. New Delhi. 25 July. Vol- 37. No- 122.
10. Menon, Usha. (1994). Dunkel Proposal and Indian Agricultures. Intellectual Property Rights. Editors K-R-G- Nair and Ashok Kumar, Sunil Sachdeva, Allied Publishers Pvt. Ltd.: New Delhi. Pg. 178.
11. Rao, V.M., Jeromi, P.D. (2000). Modernizing Indian Agriculture Priority Tasks and Critical policies. Reserve Bank of India.